

न्यायालय नायब तहसीलदार बयाना (भरतपुर)

प्र०स० 96/19 ता०रजु 19.11.19 किस्म मुकदमा 91 एलआर एक्ट निर्णय दिनांक 15.1.2020

सरकार

बनाम

जागराण पुत्र कुमा

पत्रावली आज पेश हुई। पटवारी हल्का कपुरा मल्हना ने एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की है। कि ग्राम कपुरा मल्हना के खसरा नम्बर 900 रकबा 1.06 हैक्ट. किस्म भूमि अर्ध पर सम्बत 2076 में श्री जागराण पुत्र कुमा कपुरा मल्हना तह० बयाना ने 0.40 अतिक्रमण कर लिया है।

हल्का पटवारी रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण 91 एलआरएक्ट के तहत दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। जो नोटिस के सन्दर्भ में गैर सायल द्वारा उपस्थित होकर जवाब पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। गैर सायल द्वारा अपने जबाब में स्वयं का अतिक्रमण नहीं होना अंकित करते हुये पुनः जांच कराने का प्रार्थना की है। प्रकरण में भूअनिरी. से पुनः जांच कराई गई। भूअनिरी. द्वारा अपनी पुनः जांच रिपोर्ट दिनांक 13.01.2020 में अतिक्रमी का अतिक्रमण होना अंकित किया गया। गैरसायल द्वारा प्रस्तुत जबाब भूअनिरी. की जांच रिपोर्ट एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपरान्त इस निष्कर्ष पर पहुंचता है। कि अप्रार्थी के विरुद्ध न्यायिक कार्यवाही अमल में लायी जाना आवश्यक है। अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से बेदखल करना राज्यहित में आवश्यक है।

अतः आदेश है कि अतिक्रमी के विरुद्ध न्यायिक कार्यवाही कर अतिक्रमित खसरा नम्बर 900 रकबा 0.40 हैक्ट. वाके ग्राम कपुरा मल्हना से बेदखल किया जाता है। लगान 1.60 का 50 गुणा पैनल्टी राशि 80 रुपये से दण्डित किया जाता है। पैनल्टी की मांग कायमी टी.आर.ए. हाजा से कराई जावे। पैनल्टी वसूली खडी फरसत को कब्जेराज लेकर फर्द नीलामी/ अवैध कब्जा/ बेदखली बाबत हल्का पटवारी/ गिरदावर को आदेश जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार हो। बाद तकमील नम्बर से कम हो। दारिखत दफ्तर ह्ये, निर्णय दिनांक 15.1.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ब. के. सं. 04 के पेज नं 28
दिनांक 15/1/20
पैनल्टी रु 80/-
को जा

तहसीलदार
बयाना